

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹ 10

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

79AE 486089

समक्ष,

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान
कालांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

शपथ-पत्र

मैं, राजेश कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय सकल नारायण सिंह निवासी मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी का है जो कि एस.जे.आर. एस. इन्फ्रासिटी प्रा.लि., वाराणसी का डायरेक्टर/ प्रमोटर है व निम्नलिखित सशपथ बयान करता है:-

1. यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा.लि., वाराणसी द्वारा आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी के नाम से प्रस्तावित है।

यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रोजेक्ट के अलावा निम्न आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी पर कोई अन्य प्रोजेक्ट न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में स्वीकृत करने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा।

सत्यापन

राजेश कुमार सिंह

मैं, शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की दफा 2 मेरी निजी जानकारी में सब सच व सही है कोई बात न झूठ है और न ही छिपाई गयी है। इबारत तसदीक दीवानी कचहरी वाराणसी में किया गया।

दिनांक- 11.09.2023

शपथकर्ता

राजेश कुमार सिंह

राजेश कुमार सिंह

अथ गवाहकार का नाम है सहायक
on behalf of Govt. of India witness
इसके शपथकर्ता ने शपथ अंगुली
Taken by Depositor
संस्तुति द्वारा
Conseller

जे.पी. सिंह
J.P. Singh Advocate, Notary



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
समक्ष,

79AE 445530

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान
कालांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

शपथ-पत्र

मैं, जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय सकल नारायण सिंह निवासी मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी का हूँ जो कि एस.जे.आर. एस. इन्फ्रासिटी प्रा.लि., वाराणसी का डायरेक्टर/ प्रमोटर हूँ व निम्नलिखित सशपथ बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा.लि., वाराणसी द्वारा आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी में शुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी के नाम से प्रस्तावित है।

यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रोजेक्ट के अलावा निम्न आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी पर कोई अन्य प्रोजेक्ट न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में स्वीकृत करने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा।



सत्यापन

Handwritten signature: Jitendra Kumar Singh

मैं, शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की दफा नंबर 2 मेरी निजी जानकारी में सब सच व सही है कोई बात न झूठ है और न ही छिपाई गयी है। इबारत तसदीक दीवानी कचहरी वाराणसी में किया गया।

दिनांक- 11.09.2023

शपथकर्ता

Handwritten signature: Jitendra Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AE 486074

समक्ष,

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान
कालांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

शपथ-पत्र

मैं, अजय पुत्र स्वर्गीय श्याम बहादुर सिंह निवासी मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी का है जो कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा.लि., वाराणसी का डायरेक्टर/ प्रमोटर है व निम्नलिखित सशपथ बयान करता है:-

1. यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि., वाराणसी द्वारा आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी में युप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी के नाम से प्रस्तावित है।
2. यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रोजेक्ट के अलावा निम्न आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी पर कोई अन्य प्रोजेक्ट न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में स्वीकृत करने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा।



सत्यापन

31/09/23 31/09/23

बाएँ सरकार की ओर से सत्यापित

On behalf of Govt. of India as witness etc

बाएँ शपथकर्ता के द्वारा

Oathd by the witness etc

संस्थापित द्वारा

Constituted by Advocate

दिनांक 08.09.2023

शपथकर्ता

शपथकर्ता

P. V. High Advocate, Notary Genl. of India

31/09/23 31/09/23

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AE 486072

समक्ष,

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान

कालांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

शपथ-पत्र

मैं, तेज बहादुर पुत्र स्वर्गीय कतवारु सिंह निवासी मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी का है जो कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा.लि., वाराणसी का डायरेक्टर/ प्रमोटर है व निम्नलिखित सशपथ बयान करता है:-

यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि., वाराणसी द्वारा आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी में गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी के नाम से प्रस्तावित है।

यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रोजेक्ट के अलावा निम्न आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी पर कोई अन्य प्रोजेक्ट न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में स्वीकृत करने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा।



On behalf of Government of Uttar Pradesh
अमर प्रजापति ने
Oathed by Dependent
अनुमति द्वारा अधिका
Consulted by Advocate

सत्यापन

मैं, शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की
दस्तावेज 1 व 2 मेरी निजी जानकारी में सब सच व सही है कोई बात न झूठ है और
यही छिपाई गयी है। इबास्त तसदीक दीवानी कचहरी वाराणसी में किया गया।

दिनांक- 08.09.2023

शपथकर्ता

Tej Bahadur Singh

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AE 486075

समक्ष,

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान
कालांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

शपथ-पत्र

मैं, संजय पुत्र स्वर्गीय श्याम बहादुर सिंह निवासी मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी का है जो कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा.लि., वाराणसी का डायरेक्टर/ प्रमोटर है व निम्नलिखित सशपथ बयान करता है:-

यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि., वाराणसी द्वारा आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी के नाम से प्रस्तावित है।

यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रोजेक्ट के अलावा निम्न आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी पर कोई अन्य प्रोजेक्ट न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में स्वीकृत करने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा।



सत्यापन

J. A. Singh सेजयसिंह

On behalf of the...
Dated by...
08.09.2023

मैं, शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की प्रतियाँ 1 व 2 मेरी निजी जानकारी में सब सच व सही है कोई बात न झूठ है और न ही छिपाई गयी है। इबारत तसदीक दीवानी कचहरी वाराणसी में किया गया।

08.09.2023
P. Singh Advocate, District Court, Varanasi

शपथकर्ता
J. A. Singh सेजयसिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AE 486073

समक्ष,

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान
कालांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

शपथ-पत्र

मैं, जय प्रकाश पुत्र स्व० श्याम बहादुर सिंह निवासी मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी का है जो कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा.लि., वाराणसी का डायरेक्टर/ प्रमोटर है व निम्नलिखित सशपथ बयान करता है:-

1. यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि., वाराणसी द्वारा आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी के नाम से प्रस्तावित है।
2. यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता है कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रोजेक्ट के अलावा निम्न आराजी नम्बर 1565 व 1571 स्थित मौजा बीरभानपुर, परगवा कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी पर कोई अन्य प्रोजेक्ट न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में स्वीकृत करने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा।

सत्यापन

मैं, शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की तारीख 08.09.2023 को 1 व 2 मेरी निजी जानकारी में सब सच व सही है कोई बात न झूठ है और सत्यापन द्वारा कोई भी छिपाई गयी है। इबारत तसदीक दीवानी कचहरी वाराणसी में किया गया।

दिनांक- 08.09.2023

J. Prakash Singh
जय प्रकाश सिंह

J. Prakash Singh
शपथकर्ता
जय प्रकाश सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GN 276279

Form-'B'

DECLARATION, SUPPORTED BY AN AFFIDAVIT, WHICH SHALL BE SIGNED BY PROMOTER OR ANY PERSON AUTHORIZED BY THE PROMOTER

AFFIDAVIT-CUM-DECLARATION

AFFIDAVIT-CUM-DECLARATION of Mr. Rajesh Kumar Singh, duly authorized by the Promoter "SJRS Infracity Private Limited" of the "SJRS Infra City" Project vide its/his/their authorization dated 08.09.2023;

I, Mr. Rajesh Kumar Singh duly authorized by the promoter of the proposed project "SJRS Infra City", do hereby solemnly declare, undertake and state as under:—

- (1) That Promoter have legal title on some part of the land on which the development of the project is proposed

AND



राजेश कुमार सिंह
Rd. P. K.

a legally valid authentication of title of remaining land along with an authenticated copy of the agreement between such owner and promoter for development of the real estate project is enclosed herewith.

- (2) That the said land is free from all encumbrances.
- (3) That the time period within which the project shall be completed by Promoter is **43 months**.
- (4) That 70 (seventy) per cent of the amounts realized by me/Promoter for the real estate project from the allottees, from time to time, shall be deposited in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and shall be used only for that purpose
- (5) That, the amounts from the separate account to cover the cost of the project shall be withdrawn in proportion to the percentage of completion of the project.
- (6) That the amounts from the separate account shall be withdrawn after it is certified by an engineer, an architect and a chartered accountant in practice that the withdrawal is in proportion to the percentage of completion of the project.
- (7) That I/promoter shall get the accounts audited within six months after the end of every financial year by a chartered accountant in practice and shall produce a statement of accounts duly certified and signed by such chartered accountant and it shall be verified during the audit that the amounts collected for a particular project have been utilized for the project and the withdrawal



21/02/2018
V.P. Singh

has been in compliance with the proportion to the percentage of completion of the project.

- (8) That, I/promoter shall take all the pending approvals on time from the competent authorities.
- (9) That I/promoter have/has furnished such other documents as have been prescribed by the rules and regulations made under the Act.
- (10) That, I/promoter shall not discriminate against any allottee at the time of allotment of any apartment, plot or building, as the case may be, on any grounds.

DEPONENT

राजेश कुमार शर्मा
98-XXXX-XXXX

VERIFICATION

I, the deponent above, do hereby verify the contents of my above Affidavit-cum-Declaration are true and correct to the best of my knowledge and I have not concealed any material facts.

Verified by me at VARANASI on this 9th day of September, 2023.

DEPONENT

राजेश कुमार शर्मा
98-XXXX-XXXX



सर्व सरकार की ओर से सत्यापित
 In behalf of Govt. of India witness
 द्वारा सप्रेमकता के साथ प्रमाणित
 attested by Deponent before me
 कसूरि द्वारा अधिवक्ता
 attested by Advocate
 9/9/2023